

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ... मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ... 197/2017

सरकार बनाम होशियार पुत्र हनुमान, जाति-राजपूत,
निवासी- कासनी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 25.01.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र विजेन्द्र सिंह उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल होशियार पुत्र हनुमान, जाति-राजपूत, निवासी-कासनी द्वारा रोही मौजा कासनी की राजकीय भूमि ख.नं. 633 कुल रकबा 0.40 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0150 है० भूमि पर फसल गेहूँ काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने अपना अतिक्रमण हटा लिया है। मौके पर रास्ता चालू है। गैर सायल की ओर से अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 41 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 51 कायम किए

राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़